समक्ष कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश और अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति।

जोगेन्दर सिंह और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

2018 का एल पी ए नंबर ***1235***

10 अगस्त***, 2018***

हरियाणा लोक सेवा आयोग-सहायक प्रोफेसर भौतिकी-प्रोफेसरों की विशेषज्ञों की समिति का निर्णय शैक्षणिक मामलों में सटीक माना जाना चाहिए-अदालतों को विशेषज्ञों की राय के आगे झुकना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायाधीश सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं हैं और न ही हो सकते हैं और इसलिए, उन्हें बहुत संयम बरतना चाहिए और विशेषज्ञों की राय को परेशान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकादमिक मामले विशेषज्ञों पर छोड़ दिए गए थे क्योंकि वे सही और गलत उत्तरों के सबसे अच्छे न्यायाधीश थे। इस प्रकार, यह देखा गया कि न्यायालय याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों के कहने पर शैक्षणिक मामलों की कोई जांच नहीं करेगा जो परीक्षा या इसके संशोधन के परिणाम में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे। बल्कि, उत्तरदाता-आयोग ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में प्रामाणिक त्रुटियों को स्वीकार करते हुए और समस्या को ठीक करने के लिए न्यायसंगत और उचित समाधान खोजने के लिए सभी प्रतियोगियों के साथ निष्पक्षता से काम किया।

(पैरा 4)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमें मामले में हस्तक्षेप करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है और साथ ही विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए विवादित आदेश और निर्णय में भी। योग्यता से रहित होने के कारण अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

(पैरा 5)

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुनील के. नेहरा।

कृष्ण मुरारी, मुख्य न्यायाधीश और अरुण पल्ली, न्यायमूर्ति।

(1) यह विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 09.07.2018 के आदेश और निर्णय के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड X के अधीन एक अंतर-न्यायालय अपील है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(2) हरियाणा लोक सेवा आयोग ने सहायक प्रोफेसर (भौतिकी में कॉलेज संवर्ग) के 142 पदों के लिए विज्ञापन दिया। उक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा 29.01.2017 को आयोजित की गई थी। इसके बाद, इस न्यायालय द्वारा 2012 के एल पी ए नंबर 1338 (हरियाणा लोक सेवा आयोग बनाम जितेंद्र कुमार और अन्य) में जारी निर्देशों के अनुपालन में, पेपर सेटर द्वारा प्रदान की गई उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, और उस पर आपत्तियां उन उम्मीदवारों से आमंत्रित की गई थीं, जो उक्त परीक्षा में उपस्थित हुए थे। कई उम्मीदवारों से सभी आपत्तियां/अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उन्हें इस विषय पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल थे। और उम्मीदवारों द्वारा दायर आपत्तियों/अभ्यावेदनों की सत्यता की जांच करने के बाद, विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार त्रुटियों को ठीक किया गया और परिणाम प्रतिशत के आधार पर घोषित किया गया। हालांकि, पीड़ित होने पर, दो उम्मीदवारों, अर्थात् राजेश कुमार और सुनील रोहिल्ला ने 2018 के सी डब्ल्यूपी नंबर 2106 के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, और 02.01.2018 को घोषित लिखित परीक्षा के परिणामों पर हमला किया। अधिकांश प्रश्नों के लिए अस्पष्ट, असंगत होने का आरोप लगाया गया था, और एक उत्तर कुंजी जिसमें गलत और गलत विकल्प थे, लागू की गई थी। उक्त रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2018 के आदेश द्वारा किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी शिकायतों के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन लंबित थे, और राज्य के विद्वान वकील और आयोग के वकील ने भी प्रस्तुत किया था कि उसी पर कार्रवाई की जाएगी और कानून के अनुसार उचित आदेश एक सप्ताह के भीतर पारित किए जाएंगे। परिणामस्वरूप, विशेषज्ञ समिति द्वारा उक्त आपत्तियों/अभ्यावेदनों का विधिवत विश्लेषण और समीक्षा की गई और इस संबंध में रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की गई। और उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सभी 14 प्रश्नों में अस्पष्टता पाई गई, जिनमें से 4 प्रश्नों को हटा दिया गया, जबकि 10 प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित किया गया। जबकि, उम्मीदवारों द्वारा अन्य प्रश्नों के संबंध में उठाई गई शेष आपत्तियां निरर्थक पाई गईं। और परिणाम घोषित कर दिया गया। तदनुसार, उपर्युक्त रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन/आपत्तियों का निपटान आयोग द्वारा दिनांक 05.02.2018 के अपने आदेश के माध्यम से किया गया था। लेकिन अपीलार्थियों (जिसमें उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक राजेश कुमार भी शामिल है, ने 2018 के सी डब्ल्यूपी नंबर 4452 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दिनांक 05.02.2018 के आदेश का समर्थन किया गया, क्योंकि आयोग द्वारा पुस्तिका श्रृंखला कोड 'डी' के कुछ प्रश्नों को ठीक नहीं किया गया था और हटा दिया गया था। बल्कि, अपीलार्थियों की सटीक शिकायत यह थी कि 21 प्रश्नों के संबंध में जो गलत थे और जिन पर आपत्ति थी, आयोग द्वारा विशेषज्ञों से कोई विशिष्ट राय प्राप्त नहीं की गई थी।

(3) और मामले और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, विद्वत एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग के वकील द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत विशेषज्ञों की राय के अवलोकन से पता चलता है कि सभी प्रश्नों की विशेषज्ञों द्वारा विधिवत जांच की गई थी और वे क्रम में पाए गए थे। इस समय इस संबंध में अभिलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः "मेरे पास इस न्यायालय की सीमाओं से परे किसी संस्थान में

विशेषज्ञों के तीन निष्पक्ष नामों, सभी प्रोफेसरों की रिपोर्ट और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के लिए एक परीक्षा में भौतिकी के प्रश्न और उत्तरों की शुद्धता या अन्यथा पर उनकी राय की अवहेलना करने का कोई कारण नहीं है और मेरा विचार है कि सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत रिपोर्ट को असफल याचिकाकर्ताओं द्वारा विच्छेदन का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए या उनके खर्च पर विशेषज्ञों के एक समूह की एक और राय आमंत्रित करके जैसा कि श्री आर के मलिक, उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने सुझाव दिया था। पहले संपर्क किए गए विशेषज्ञों के खिलाफ कोई दुर्भावना या पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया गया है और चयन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए आज मंच पर रखी गई वर्तमान रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।

(4) इसके अलावा, यू. पी. पी. एस. सी. में अपने अध्यक्ष के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में और एक अन्य बनाम राहुल सिंह (2018 की सिविल अपील संख्या 5838), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब परस्पर विरोधी विचार हैं, तो न्यायालय को विशेषज्ञों की राय के आगे झुकना चाहिए। न्यायाधीश सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं और न ही हो सकते हैं और इसलिए, उन्हें बहुत संयम बरतना चाहिए और विशेषज्ञों की राय को परेशान करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अकादमिक मामले विशेषज्ञों पर छोड़ दिए गए थे क्योंकि वे सही और गलत उत्तरों के सबसे अच्छे न्यायाधीश थे। इस प्रकार, यह देखा गया कि न्यायालय याचिका दायर करने वाले उम्मीदवारों के कहने पर शैक्षणिक मामलों की कोई जांच नहीं करेगा जो परीक्षा या इसके संशोधन के परिणाम में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे। बल्कि, प्रत्यर्थी-आयोग ने प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी में प्रामाणिक त्रुटियों को स्वीकार करते हुए और समस्या को ठीक करने के लिए न्यायसंगत और उचित समाधान खोजने के लिए सभी प्रतियोगियों के साथ निष्पक्षता से काम किया। हमने भी उन अभिलेखों की जांच की है जिनसे पता चलता है कि आयोग ने न केवल उन प्रश्नों का सत्यापन किया था जिन पर उसे आपत्तियां/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, बल्कि उन प्रश्नों का भी सत्यापन किया था जिन पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी या प्राप्त नहीं हुई थी।

(5) उपरोक्त के संदर्भ में, हमें मामले में हस्तक्षेप करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है और साथ ही विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए विवादित आदेश और निर्णय में भी। योग्यता से रहित होने के कारण अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा